

अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखने में हुये  
विलम्ब का कारण

राज्य कर अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं को समय से सदन के पटल पर रखे जाने में हुये विलम्ब का कारण "मुद्रित प्रतियाँ राजकीय मुद्रणालय से ससमय प्राप्त न होना एवं विधान मण्डल का द्वितीय सत्र-2020 का अत्यधिक लघु होना है, जो कि प्रक्रियात्मक विलम्ब है।"

योगी आदित्यनाथ  
मुख्यमंत्री



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 7 जुलाई, 2020

आषाढ़ 16, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 661/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(128)-2020

लखनऊ, 7 जुलाई, 2020

अधिसूचना

प०आ०-163

अधिसूचना संख्या 488/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ०प्र०जी०एस०टी०नियम-2017-आदेश(123)-2020, दिनांक 26 मई, 2020, द्वारा बनायी गयी उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चालीसवां संशोधन) नियमावली, 2020 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, तारीख 8 जून, 2020 को ऐसी तारीख नियत करती हैं, जिस तारीख को नियमावली के उक्त उपबंध प्रवृत्त होंगे।

आज्ञा से,  
आलोक सिन्हा,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 661/XI-2-20-9(42)-17-U.P.Act-1-2017-Order(128)-2020, dated July 7, 2020:

No. 661/XI-2-20-9(42)-17-U.P.Act-1-2017-Order(128)-2020

*Dated Lucknow, July 7, 2020*

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no.1 of 2017) read with rule 3 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Fortieth Amendment) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules), made by notification no. 488/XI-2-20-9(42)-17-U.P.G.S.T. Rules-2017-Order(123)-2020, dated May 26, 2020, the Governor, hereby appoints the 8<sup>th</sup> day of June, 2020, as the date from which the said provisions of the rules, shall come into force.

By order,  
ALOK SINHA,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 132 राजपत्र-2020-(275)-599 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 33 सा० राज्य कर-2020-(276)-3500 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।